रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235132
CG-DL-E-13042022-235132

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1732] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2022/चैत्र 23, 1944
No. 1732] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2022/CHAITRA 23, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2022

का.आ. 1819(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:--

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

यह याचिका पुडुचेरी के उपराज्यपाल के समक्ष तारीख 25.01.2021 को डा. के.बी. विजय कुमार (जिसे इसमें इसके पश्चात् **"याची"** कहा गया है) द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसमें याची ने पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के 7 सदस्यों अर्थात् श्री आर. शिवा, श्री टी. देजामूर्ति, श्री एमएनआर बालान, श्रीमती ए. गीता, श्री ई. थीपायन्थन, श्रीमती वी.विज्यावेनी, श्री एन. दानावेलऊ (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् **"प्रत्यर्थी"** कहा गया है) की संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(क) के अधीन 'लाभ का पद' धारण करने के आधार पर निरर्हता की मांग की गई है।

और उक्त याचिका पुडुचेरी के उपराज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पत्र तारीख 02.02.2021 द्वारा अग्रेषित की गई थी और तत्पश्चात् उक्त याचिका प्रत्यर्थियों की अभिकथित निरर्हता के संबंध में संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग को उसकी राय की मांग करते हुए तारीख 19.02.2021 को निर्दिष्ट की गई थी ।

और याची ने यह कथन किया है कि पूर्वोक्त प्रत्यर्थियों की नियुक्ति अधिसूचना सं. 183 तारीख 03.11.2017 द्वारा विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों के रूप में की गई थी और सूचना का अधिकार उत्तर सं. 52011/01/2021/डीपीएआर/सीसीडी(1) तारीख 19.01.2021 में पुडुचेरी सरकार से प्राप्त सूचना में यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थियों द्वारा धारित पद पारिश्रमिक और भत्ते वाले पद नहीं थे किंतु उन्हें टेलीफोन, यान और निजी कर्मचारिवृंद जैसी सुविधाएं प्रदान की गई थीं।

और याची ने यह और कथन किया है कि पुडुचेरी विधानसभा सदस्य (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1994 स्पष्ट रूप से यह कथन करता है कि विधान सभा सदस्यों को जब बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तब वे उनके द्वारा उपगत व्ययों के लिए प्रतिकरात्मक भत्तों के सिवाय किसी भी फायदे के लिए हकदार नहीं होते हैं और प्रत्यर्थियों द्वारा उपयोग की गई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(क) के अधीन निरर्हता उपगत की है।

और भारत के राष्ट्रपति ने, पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में अधिसूचना का.आ. 891(अ), तारीख 25.2.2021 द्वारा राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया था। तत्पश्चात 26.2.2021 को, निर्वाचन आयोग ने 06.04.2021 को होने वाले मतदान की तारीख वाले प्रेस नोट सं.ईसीआई/पीएन/16/2021 द्वारा पुडुचेरी विधान सभा के साधारण निर्वाचन की घोषणा की थी। जबकि वर्तमान निर्देश मामला आयोग के विचाराधीन था, पूर्वोक्त निर्वाचन के परिणाम 02.05.2021 को घोषित किए गए थे और पूर्व विधान सभा पुडुचेरी के उपराज्यपाल द्वारा राजपत्र अधिसूचना सं.XIVएलएएस/विघटन/2021 तारीख 03.05.2021 द्वारा विघटित कर दी गई थी।

और भारत निर्वाचन आयोग ने, संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन इस आशय की अपनी राय के साथ पूर्वोक्त निर्देश तारीख 19.02.2021 वापस लौटा दिया था कि निर्देश निष्फल हो गया है।

अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई राय के आलोक में, मामले पर विचार करने के पश्चात्, मैं, राम नाथ कोविंद, भारत का राष्ट्रपति, संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अभिनिर्धारित करता हूँ कि विधानसभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए याचिका निष्फल हो गई है।

31 मार्च, 2022

भारत का राष्ट्रपति

राष्ट्रपति के आदेश का उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग **निर्वाचन सदन**

अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

2021 का निर्देश मामला सं. 1(पी)

[संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14 के अधीन भारत के माननीय राष्ट्रपति से निर्देश]

प्रतिनिर्देश: 2021 का निर्देश मामला सं. 1(पी)-संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन भारत के माननीय राष्ट्रपति से निर्देश प्राप्त हुआ है जिसमें संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा14(1)(क) के अधीन पुडुचेरी विधान सभा के 7 सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर भारत निर्वाचन आयोग की राय की मांग की गई है।

राय

1. यह भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश तारीख 19.02.2021 है जिसमें संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की इस प्रश्न पर राय मांगी गई है कि क्या पुडुचेरी विधान सभा के निम्नलिखित 7 सदस्य संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(क) के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं:-

क्र.सं.	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	धारित पद
1.	श्री आर. शिवा	आरलेयामपेठ	अध्यक्ष, पीआईपीडीआईसी
2.	श्री टी.देजामूर्ति	अरयंकुप्पम	अध्यक्ष, पुडुचेरी योजना प्राधिकरण
3.	श्री एमएनआर बालान	ओझुकराय	अध्यक्ष, पुडुचेरी पर्यटन विकास निगम
4.	श्रीमती ए.गीता	निराव्य टी.आर.पट्टीनाम	अध्यक्ष, पुडुचेरी विद्युत निगम लिमिटेड
5.	श्री ई.थीपायन्थम	औस्सुडू	अध्यक्ष, पुडुचेरी स्लम क्लीयरेंस बोर्ड
6.	श्रीमती वी. विज्यावेनी	नीतिपक्कम	अध्यक्ष, पुडुचेरी् डिस्ट्रीलरीज लिमिटेड
7.	श्री एन. दावावेलउ	बाहौर	अध्यक्ष, पीएपीएससीओ

2. उक्त निर्देश में, निरर्हता का प्रश्न पुडुचेरी के माननीय उपराज्यपाल के समक्ष डा.के.बी. विजय कुमार (जिसे इसमें इसके पश्चात् **"याची"** कहा गया है) द्वारा प्रस्तुत याचिका तारीख 25.01.2021 से उत्पन्न हुआ निरर्हता के प्रश्न, जिसमें याची ने 'लाभ का पद' धारण करने के आधारों पर संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(क) के अधीन पूर्वोक्त पुडुचेरी विधानसभा सदस्य (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् **"प्रत्यर्थी"** कहा गया है) की निरर्हता की मांग की है । उक्त याचिका पुडुचेरी के माननीय राज्यपाल ने भारत के माननीय राष्ट्रपति को पत्र तारीख 02.02.2021 द्वारा अग्रेषित की थी और तत्पश्चात् उसे संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन आयोग को उसकी राय के लिए अग्रेषित किया गया था ।

तथ्य:

3. याची ने यह कथन किया है कि पूर्वोक्त प्रत्यर्थियों को अधिसूचना सं. 183, तारीख 3.11.2017 द्वारा, ऊपर सारणी में यथा उल्लिखित विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किया गया था और सूचना का अधिकार उत्तर सं. 52011/01/2021/डीपीएआर/सीसीडी(1), तारीख 19.01.2021 में पुडुचेरी सरकार से प्राप्त सूचना में यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थियों द्वारा धारित पद कोई पारिश्रमिक और भत्ते वाले पद नहीं थे किन्तु उन्हें टेलीफोन, यान और निजी कर्मचारिवृंद जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं । याची ने यह और कथन किया है कि पुडुचेरी विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1994 स्पष्ट रुप से यह कथन करता है कि विधान सभा सदस्यों को जब बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तब वे, उनके द्वारा उपगत व्ययों के लिए प्रतिकरात्मक भत्ता के सिवाय किसी भी फायदे के लिए हकदार नहीं होते हैं और प्रत्यर्थियों द्वारा उपयोग की गई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(क) के अधीन निरर्हता उपगत की है ।

विश्लेषण:

4. 25.02.2021 को भारत के राष्ट्रपति ने पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में अधिसूचना का.आ. 891(अ) द्वारा राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया था । तत्पश्चात 26.02.2021 को, आयोग ने, 6.04.2021 को होने वाले मतदान की तारीख वाले प्रेस नोट सं.ईसीआई/पीएन/16/2021 द्वारा पुडुचेरी विधान सभा के साधारण निर्वाचन की घोषणा की थी । जबकि वर्तमान निर्देश मामला आयोग के विचाराधीन था, पूर्वोक्त निर्वाचनों के परिणाम 02.05.2021 को घोषित किए गए थे और पूर्व विधान सभा, पुडुचेरी के माननीय उपराज्यपाल द्वारा राजपत्र अधिसूचना सं. XIV एलएएस/विघटन/2021 तारीख 03.05.2021 द्वारा विघटित कर दी गई थी ।

निष्कर्ष:

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निर्देश तारीख 19.02.2021 को संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन आयोग के इस आशय की राय के साथ भारत के माननीय राष्ट्रपति को वापस लौटाया जाता है कि निर्देश निष्फल हो गया है ।

ह0	ह0	ह0
राजीव कुमार	सुशील चंद्रा	अनूप चंद्र पांडे
(निर्वाचन आयुक्त)	(मुख्य निर्वाचन आयुक्त)	(निर्वाचन आयुक्त)

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 4.8.2021

[फा. सं. एच-11026/5/2021-वि.2]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2022

S.O. 1819(E).—The following Order made by the President is published for general information:-

ORDER

New Delhi, the 31st March, 2022

Whereas, a petition was submitted by Dr. K.B. Vijayakumar (hereinafter, "Petitioner") on 25.01.2021 before the Lt. Governor of Puducherry, wherein the petitioner sought disqualification of 7 Members of the Legislative Assembly of Union territory of Puducherry, namely, Shri R. Siva, Shri T. Dejamourthy, Shri MNR Balan, Smt. A. Geetha, Shri E. Theepainthan, Smt. V. Vizeaveny, Shri N. Danavelou (hereinafter, "Respondents") under section 14(1)(a) of the Government of Union Territories Act, 1963 on the ground of holding 'Office of Profit'.

And whereas, the said petition was forwarded by the Lt. Governor of Puducherry to the President of India *vide* letter dated 02.02.2021 and thereafter, the said Petition was referred to the Election Commission of India on 19.02.2021 seeking its opinion under section 14(4) of the Government of Union Territories Act, 1963 on the alleged disqualification of the Respondents.

And whereas, the Petitioner has stated that the aforesaid Respondents were appointed as Chairpersons of various Boards and Corporations *vide* Notification No. 183 dated 03.11.2017 and that the information received from the Government of Puducherry in RTI reply No. 52011/01/2021/DPAR/CCD(1) dated 19.01.2021 stated that the offices held by the Respondents did not carry any remuneration and allowances but facilities such as telephones, vehicle and personal staff were provided.

And whereas, the Petitioner has further stated that the Puducherry Members of the Legislative Assembly (Prevention of Disqualification) Act, 1994 unambiguously states that Members of Legislative Assembly, when appointed as Chairman of Boards and Corporations, are not entitled to any benefits except compensatory allowances for expenses incurred by them and that in view of the facilities enjoyed by the Respondents, they have incurred disqualification under section 14(1)(a) of the Government of Union Territories Act, 1963.

And whereas, the President of India imposed President's Rule in the Union territory of Puducherry *vide* Notification S.O. 891(E) dated 25.02.2021. Thereafter on 26.02.2021, the Election Commission announced General Elections to the Puducherry Legislative Assembly *vide* Press Note No. ECI/PN/16/2021 with the date of poll being 06.04.2021. While the present reference case was under consideration of the Commission, the results for the aforesaid election was announced on 02.05.2021 and the previous Legislative Assembly was dissolved by the Lt. Governor of Puducherry *vide* Gazette Notification No. XIV LAS/Dissolution/2021 dated 03.05.2021.

And whereas, the Election Commission of India returned the aforesaid reference dated 19.02.2021 with their opinion, under section 14(4) of the Government of Union Territories Act, 1963, to the effect that the same has become infructuous.

Now, therefore, having considered the matter in the light of the opinion rendered by the Election Commission of India, I, Ram Nath Kovind, President of India, in exercise of the powers conferred on me under section 14(4) of the Government of Union Territories Act, 1963, do hereby hold that in view of the dissolution of the Legislative Assembly, the Petition has become infructuous.

31st March, 2022

President of India

ANNEXURE TO THE ORDER OF THE PRESIDENT

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN

ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

REFERENCE CASE NO. 1(P) OF 2021

[REFERENCE FROM THE HON'BLE PRESIDENT OF INDIA UNDER SECTION 14 OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963]

In re: Reference Case No. 1(P) of 2021- Reference received from the Hon'ble President of India under Section 14(4) of the Government of Union Territories Act, 1963 seeking opinion of the Election Commission of India on the question of alleged disqualification of 7 Members of Puducherry Legislative Assembly under Section 14(1)(a) of the Government of Union Territories Act, 1963.

OPINION

1. This is a reference dated 19.02.2021 received from the Hon'ble President of India seeking opinion of the Election Commission of India under Section 14(4) of the Government of Union Territories Act, 1963, on the question whether the following 7 Members of the Puducherry Legislative Assembly have become subject to disqualification under Section 14(1)(a) of the Government of Union Territories Act, 1963:-

Sl. No.	Name	Constituency	Office Held
1.	Sh. R. Siva	Orleampeth	Chairperson, PIPDIC
2.	Sh. T. Dejamourthy	Ariankuppam	Chairperson, Puducherry Planning Authority
3.	Sh. MNR Balan	Ozhukarai	Chairperson, Puducherry Tourism Development Corporation
4.	Smt. A. Geetha	Neravy T.R. Pattinam	Chairperson, Puducherry Power Corporation Ltd
5.	Sh. E. Theepainthan	Oussudu	Chairperson, Puducherry Slum Clearance Board
6.	Smt. V. Vizeaveny	Nettipakkam	Chairperson, Puducherry Distilleries Limited
7.	Sh. N. Danavelou	Bahour	Chairperson, PAPSCO

2. In the said reference, the question of disqualification arose out of a petition dated 25.01.2021 submitted by Dr. K.B. Vijayakumar (hereinafter, **"Petitioner"**), before the Hon'ble Lt. Governor of Puducherry wherein the Petitioner sought disqualification of the aforesaid Members of Puducherry

Legislative Assembly (hereinafter, **"Respondents"**), under Section 14(1)(a) of the Government of Union Territories Act, 1963 on grounds of holding 'Offices of Profit'. The said petition was forwarded by the Hon'ble Lt. Governor of Puducherry to the Hon'ble President of India *vide* letter dated 02.02.2021 and the same was subsequently forwarded to the Commission for its opinion under Section 14(4) of the Government of Union Territories Act, 1963.

FACTS:

3. The Petitioner has stated that the aforesaid Respondents were appointed as Chairpersons of various Boards & Corporations, as mentioned in the table above, vide Notification No. 183 dated 03.11.2017 and that the information received from the Government of Puducherry in RTI reply No. 52011/01/2021/DPAR/CCD(1) dated 19.01.2021 stated that the offices held by the Respondents did not carry any remuneration and allowances but facilities such as telephones, vehicle and personal staff were provided. The Petitioner further stated that the Pondicherry Members of the Legislative Assembly (Prevention of Disqualification) Act, 1994 unambiguously states that Members of Legislative Assembly, when appointed as Chairmen of Boards and Corporations, are not entitled to any benefits except compensatory allowance for expenses incurred by them and that in view of the facilities enjoyed by the Respondents, they have incurred disqualification under Section 14(1)(a) of the Government of Union Territories Act, 1963.

ANALYSIS:

4. On 25.02.2021, the President of India imposed President's Rule in the Union Territory of Puducherry *vide* Notification S.O. 891(E). Thereafter on 26.02.2021, the Commission announced General Elections to the Puducherry Legislative Assembly *vide* Press Note No. ECI/PN/ 16/2021 with the date of poll being 06.04.2021. While the present reference case was under consideration of the Commission, the results for the aforesaid elections were announced on 02.05.2021 and the previous Legislative Assembly was dissolved by the Hon'ble Lt. Governor of Puducherry *vide* Gazette Notification No. XIV LAS/Dissolution/2021 dated 03.05.2021.

CONCLUSION:

5. In view of the above, the reference dated 19.02.2021 is hereby returned to the Hon'ble President of India with the Commission's opinion, under Section 14(4) of the Government of Union Territories Act, 1963, to the effect that the same has become infuctuous.

Sd/	Sd/	Sd/
RAJIV KUMAR	**SUSHIL CHANDRA**	**ANUP CHANDRA PANDEY**
(ELECTION COMMISSIONER)	**(CHIEF ELECTION COMMISSIONER)**	**(ELECTION COMMISSIONER)**

PLACE : **New Delhi**

DATE : 04.08.2021

[F. No. H-11026/05/2021-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. & Legislative Counsel

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.13 22:12:23 +05'30'